राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

की समीक्षा/मूल्यांकन के लिये

परामर्श संगठन की सेवाओं

के लिए

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
कमरा नंबर: 524, सी विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष नं: 23073780

जनवरी, 2017

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	विज्ञापन की विषय-वस्तु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण	3
2.	आमंत्रण-पत्र	4
3.	पृष्ठभूमि	5
4.	लक्ष्य और उद्देश्य	5
5.	ईओआई प्रोसेसिंग फीस	5
6.	प्रस्ताव प्रस्तुत करने का स्थान और समय सीमा	6
7.	प्रस्ताव की वैधता	6/संलग्नक-1
8.	विचारार्थ विषय	6
9.	परामर्शदाताओं को अनुदेश	6
10.	अर्हता के मानदंड	7
1 1.	मूल्यांकन के मानदंड और मूल्यांकन की विधि	8
12.	प्रतिक्रिया	8
13.	हित का टकराव	8
14.	शर्त, जिसके तहत ईओआई जारी किया जाता है	8
15.	ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	8
16.	फार्मेट	
i)	फार्मेट - 1	9
ii)	फार्मेट - 2	10
iii)	फार्मेट - 3	11
iv)	फार्मेट - 4	12
v)	फार्मेट - 5	13
vi)	फार्मेट - 6	14
vii)	फार्मेट – 7	15
17.	अनुबंध I - विचारार्थ विषय	16

1. विज्ञापन की विषय-वस्तु

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110115

अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने अपनी आरएमएसए योजना की समीक्षा और उसका मूल्यांकन करने के लिए भारतीय परामर्शदात्री एजेंसियों/ व्यक्तियों से सीलबंद अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की हैं।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज, जिसमें अर्हता मानदंड, प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएं, संक्षिप्त उद्देश्य और कार्यक्षेत्र और मूल्यांकन मापदंड आदि का ब्यौरा दिया गया हो, वेबसाईट www.mhrd.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

और अधिक जानकारी, यदि कोई हो, उप-सचिव (आरएमएसए III), कमरा नंबर 408, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115 से प्राप्त की जा सकती है।

ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10.03.2017, 14:00 बजे तक है। सीलबंद लिफाफा, जिसके ऊपर ''ईओआई की समीक्षा/आरएमएसए मूल्यांकन लिखा हो, ईओआई और नई दिल्ली में देय "वेतन व लेखा अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के जरिए रूपए 5000.00 का अप्रतिहस्तांतरणीय शुल्क हो, उक्त पते पर प्रस्तुत किया जा सकता है:

"श्रीमती नीता गुप्ता, उप सचिव, आरएमएसए- III, डीएसईएल
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कमरा नंबर 524-सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, 110115"

अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले आवेदकों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चयन समिति के समक्ष प्रस्ताव/ प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तदनुसार, केवल चुने गए आवेदकों को बोली दस्तावेज जारी किए जाएंगे।

नीता गुप्ता
उप सचिव, आरएमएसए- III,
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

नोट: डीएसईएल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या इसके किसी पदनामित व्यक्ति के पास ईओआई के ऐसे अनुरोध के लिए बिना किसी देनदारी या प्रतिबद्धता बगैर और बिना कोई कारण बताए, ईओआई के किसी अनुरोध का निरसन करने और/अथवा संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए अनुरोध आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित है। इस चरण पर प्रदान की गई सूचना सांकेतिक है और डीएसईएल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास ईओआई में ब्यौरे का संशोधन/अधिवृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. आमंत्रण पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115

सं. **दिनांक:**

प्रिय महोदय / महोदया,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने अपनी आरएमएसए योजना की समीक्षा/उसका मूल्यांकन करने के लिए भारतीय परामर्शदात्री एजेंसियों/व्यक्तियों से सीलबंद अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की हैं।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज, जिसमें अर्हता मानदंड, प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएं, संक्षिप्त उद्देश्य और कार्यक्षेत्र और मूल्यांकन आदि का ब्यौरा दिया गया हो, वेबसाईट www.mhrd.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं।

ईओआई दस्तावेज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.mhrd.gov.in पर भी उपलब्ध है।

आप अपने आवेदन विनिर्धारित प्रपत्र में सीलबंद लिफाफे में 10.03.2017 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

"उप सचिव, (आरएमएसए III)"
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
कमरा नंबर .: 524, सी विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115

प्रश्न, यदि कोई हो, उपर्युक्त पते अथवा टेलीफोन नं 23073780 या ई-मेल nitagupta.edu@nic.in पर उप-सचिव (आरएमएसए- III) के पास लिखित में भेजा जा सकता है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण तारीखें	तारीख	समय
1.	प्रकाशन की तारीख	03.02.2017	
2.	दस्तावेज की डाउनलोड शुरू करने की तारीख	03.02.2017	12.00 बजे
3.	दस्तावेज की डाउनलोड समाप्त करने की तारीख	10.03.2017	12.00 बजे
4.	बोली प्रस्तुत करने की शुरूआती तारीख	06.02.2017	10.00 बजे
5.	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	10.03.2017	14.00 बजे
6.	बोली खोलने की तारीख	10.03.2017	15.00 बजे

भवदीय,

उप सचिव (आरएमएसए III)
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

अनुलग्नक .: ईओआई दस्तावेज।

3.1 पृष्ठभूमि:

केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) मार्च 2009 में शुरू की गई थी। आरएमएसए का उद्देश्य समता सुनिश्चित करते हुए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना में 2017 तक हर बस्ती से एक समुचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर कक्षा IX-X के नामांकनों में बढ़ोत्तरी करने, सभी माध्यमिक विद्यालयों को विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, महिला-पुरूष, सामाजिक-आर्थिक, दिव्यांगता की बाधाओं को दूर करने और माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराने और 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण की परिकल्पना की गई है।

3.2 वर्ष 2013-14 में, अन्य अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात स्कूलों में आईसीटी, बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) और व्यावसायिक शिक्षा (वीई) को आरएमएसए के तहत समाहित किया गया था। इसके अलावा, क्योंकि इन योजनाओं के तहत अंत:क्षेपों का सहायता प्राप्त स्कूलों तक विस्तार किया गया था और इसमें उच्चतर माध्यमिक खंड को कवर किया गया, आरएमएसए के तहत उनके समावेशन से सहायता प्राप्त स्कूलों और कतिपय संघटकों के लिए उच्चतर शिक्षा खण्ड को मिलाकर आरएमएसए का अभिसरण आधारित कार्यान्वयन हुआ है।

4.0 लक्ष्य और उद्देश्य:

समीक्षा/मूल्यांकन का उद्देश्य, योजना की प्रभावशीलता, वित्तीय और भौतिक प्रगति, दोनों के मामले में, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पेशेवर मत मांगना और इस प्रणाली में सुधार एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए मध्यावधिक सुधार के उपाय सुझाना है।

5.0 ईओआई प्रोसेसिंग फीस

ईओआई प्रतिक्रिया के साथ डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के रूप में नई दिल्ली में देय ''वेतन व लेखा अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय'' के पक्ष में आहरित रुपये 5000/- (केवल पांच हजार रूपए) का अप्रतिहस्तांतरणीय प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराना होगा। ईओआई के बिना या अपर्याप्त ईओआई प्रोसेसिंग फीस के साथ प्राप्त बोलियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

6.0 प्रस्ताव प्रस्तुत करने का स्थान और समय सीमा

ईओआई में यथा: निर्दिष्ट सभी तरह से पूर्ण प्रस्ताव, यहां इसमें पहले निर्दिष्ट किए गए पते पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में और अपने विवेक से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संशोधन जारी कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है जो मानव संसाधन

विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और इस स्थिति में, पूर्व में मूल अंतिम समय सीमा के अध्यधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और बोलीकर्ताओं के सभी अधिकार एवं दायित्व इसके बाद इस प्रकार बढ़ाई गई समय सीमा के अध्यधीन होंगे।

7.0 प्रस्ताव की वैधता:

इस दस्तावेज़ के अनुसार ईओआई के लिए प्रस्ताव आरंभ में तीन (3) माह तक वैध होगा जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, यदि अपेक्षित हो, आगे बढ़ाया जा सकता है।

8.0 विचारार्थ विषय

विस्तृत विचारार्थ विषय **अनुबंध- I** पर संलग्न हैं।

9.0 परामर्शदाताओं के लिए अनुदेश

9.1 अभिरुचि की अभिव्यक्ति नीचे निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत की जानी है: -

नीचे यथा विस्तृत सभी जानकारी सीलबंद लिफाफों में दो हार्ड प्रतियों में अलग से प्रस्तुत किया जाना है और एक सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किया जाना है:-

क) फार्मेट -1 के अनुसार, आवेदक की अभिरूचि की अभिव्यक्ति।
ख) फार्मेट -2 के अनुसार, संगठनात्मक सम्पर्क विवरण।
ग) फार्मेट -3 के अनुसार, संगठन का अनुभव।
घ) फार्मेट -3 के अनुसार, वेतन नामावली पर तीन (3) विशेषज्ञों /परामर्शदाताओं की सूची।
ड.) फार्मेट -5 के अनुसार, कंपनी की वित्तीय ताकत।
च) फार्मेट -6 के अनुसार, अतिरिक्त जानकारी।
छ) फार्मेट -7 के अनुसार घोषणा।
ज) अधिकृत व्यक्ति के पूरे हस्ताक्षर सहित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी।
झ) परामर्शदाता संगठन का कार्यालय दिल्ली/एनसीआर में होना चाहिए।

9.2 ईओआई दस्तावेज वेबसाइट www.mhrd.gov.in पर उपलब्ध हैं और इसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

बोलीकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे ईओआई दस्तावेज में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों और अन्य विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करें। ईओआई दस्तावेज़ में यथा उल्लेखित सूचना मुहैया कराने या प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहना, प्रत्येक तरह से ईओआई दस्तावेजों के लिए पर्याप्त रूप से प्रत्युत्तर न देना, बोलीदाता के जोखिम पर होगा और इसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जा सकता है।

10. अर्हता मानदंड:

न्यूनतम पूर्व-अर्हता मानदंड निम्नलिखित होंगे। प्रत्येक पात्र परामर्शदाता के पास निम्नलिखित सभी पूर्व-अर्हता मानदंड होने चाहिएं। पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा न करने वाले प्रत्युत्तरों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

क्र.सं.	पूर्व अर्हता मानदंड	सहायक अनुपालन दस्तावेज़
1.	आवेदक, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 / भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन किसी फर्म/ कंपनी/ साझेदारी/स्वामित्व होगा और जिनका अपना पंजीकृत कार्यालय भारत में हो और उसका एक कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवश्य होना चाहिए।	निगमन प्रमाणपत्र और साझेदारी विलेख की प्रति, यदि कोई हो।
2.	फर्म 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कम से कम 03 साल तक सदृश परामर्श सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में होनी चाहिए।	बोलीदाता संगठन के कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र
3.	बोलीदाता लाभ कमाने वाला होना चाहिए और लगातार विगत 3 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16) में किसी वर्ष घाटा न हुआ हो।	प्रारूप -5, बोलीदाता संगठन के चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणित एवं वैद्यीकरण किया जाना है।
4.	बोलीदाता ने लगातार तीन विगत वर्षों (वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16) में से प्रत्येक वर्ष भारत में प्रदान की गई केवल परामर्शी सेवाओं से वार्षिक 25 लाख रूपए का कारोबार किया हो।	सीए की पंजीकरण संख्या, उसका नाम, हस्ताक्षर और मोहर सहित प्रमाणित दस्तावेज
5.	बोलीदाता को निम्नलिखित प्रदान करने का अनुभव हो: i. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/ सरकारी संगठनों में तीन सदृश पूरी सेवाएं प्रदान करने का जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 20 लाख रूपए से कम न हो; अथवा ii. दो सदृश पूर्ण सेवाएं जिनका प्रत्येक का मूल्य 25 लाख रूपए से कम न हो अथवा (iii) एक सदृश पूर्ण की गई सेवा जिनका मूल्य 40 लाख रूपए से कम न हो	कार्य आदेश/अनुबंध की प्रतिलिपि
6.	परामर्शदाता फर्म की नामावली में कम से कम 03 पूर्णकालिक परामर्शदाता होने चाहिए	सांविधिक लेखापरीक्षक या बोलीदाता संगठन के कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र
7.	फर्म, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/ सरकारी निकायों को काली सूचित में न डाला जाए।	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र
8.	पैन नं./ सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र	प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाए।

9.	उस एजेंसी/संगठन को वरियता दी जाएगी जिसके पास केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सरकारी स्वायत्त संगठन में से किसी के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना की समीक्षा/इसके मूल्यांकन का पूर्व अनुभव है।	
10.	बोलीदाता का दिल्ली/ एनसीआर में एक कार्यालय होना चाहिए।	दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र के अलावा किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शाखा कार्यालयों का ब्यौरा, यदि कोई हो, दिया जाए।

11.0 मूल्यांकन मापदंड और मूल्यांकन की विधि:

क. ईओआई की स्क्रीनिंग, इस दस्तावेज में उल्लिखित पात्रता शर्तों और प्रस्तुत साक्ष्यों के सत्यापन के आधार पर की जाएगी।

ख. ईओआई का मूल्यांकन, शार्ट लिस्ट करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, सदृश परियोजना के निपटान के उनके विगत अनुभव, उनके कार्मिकों की संख्या, फर्म की वित्तीय शक्ति और चयन समिति, जिसका निर्णय अंतिम होगा, के समक्ष प्रस्तुति/प्रस्ताव के आधार पर होगा।

ग. उन एजेंसियों जो पात्रता शर्तों के अनुसार अर्हता रखती हैं, को आरएमएसए योजना के बारे में संक्षेप में बताया जाएगा, एजेंसियों से अपेक्षित है कि वे एक प्रस्तुतीकरण दें और यदि अपेक्षित हो, चयन समिति के समक्ष अपने प्रस्तावों को प्रदर्शित करें।

घ. मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलीदाता का अन्यत्र कार्य-निष्पादन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से किसी विगत अनुभव का संदर्भ लेने और इस पर उपयुक्त ध्यान देने का अधिकार सुरक्षित है।

ड. शार्ट लिस्ट की गई एजेंसियों को बोली दस्तावेज जारी किए जाएंगे और उनसे सीलबंद लिफाफे में अपने मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

12.0 प्रत्युत्तर:

12.1 बोलीदाताओं को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बोली प्रत्युत्तर इस दस्तावेज के साथ संलग्न प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के साथ पूछताछ में अनुमानित सेवा के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र पर विशेष टिप्पणियां भी प्रस्तुत की जा सकती हैं।

12.2 मुहरबंद लिफाफे में आवेदन-पत्र, जिसके ऊपर ''मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आरएमएसए योजना की समीक्षा/मूल्यांकन के लिए परामर्शदाता की सेवाएं लेने हेतु ईओआई" लिखा हो।

13.0 हित का टकराव:

13.1 जहां इस संबंध में कोई संकेत है कि हित का टकराव है या हो सकता है, तो यह बोलीदाता का उत्त्रदायित्व है कि वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस बोली के साथ संलग्नक के तौर पर हित के टकराव के बारे में लिखित में विस्तार से सूचित करे।

13.2 हित के संभावित टकरावों के मामले में अंतिम निर्णायक मानव संसाधन विकास मंत्रालय होगा। किसी संभावित टकराव के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचित करने में विफलता से कोई भी मौखिक या लिखित समझौता अमान्य हो जाएगा।

13.3 हित का टकराव तब होता है जब कोई व्यक्ति, जो खरीद में शामिल होता है अथवा उसका यह सुनिश्चित करने में एक निजी हित होता है कि कोई विशेष बोलीदाता सफल हो। बोली प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति को वास्तविक और संभावित हित के टकराव की घोषणा अवश्य करनी चाहिए।

14.0 शर्त, जिसके तहत ईओआई जारी किया जाता है:

ईओआई कोई प्रस्ताव नहीं है और यह किसी प्रतिबद्धता से जारी नहीं किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास किसी भी चरण पर ईओआई या इसके किसी अंश को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास किसी बोलीदाता को अनर्ह करने का अधिकार भी सुरक्षित है, यदि ऐसा किसी चरण पर किया जाना आवश्यक है।

15.0 ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:

ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है 10.03.2017 (1400 बजे.).
बोली खोलने की तारीख और समय है 10.03.2017 (1500 बजे.)

16.0 प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट:

फार्मेट – 1

आवेदक की अभिरूचि की अभिव्यक्ति

सेवा में,

उप-सचिव (आरएमएसए-III),
कमरा नंबर 524, सी विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110115

विषय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आरएमएसए योजना की समीक्षा/इसका मूल्यांकन करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना।

प्रिय

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए xx.xx.xxxx को प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण के प्रत्युत्तर में हम उक्त प्रस्तावित काम को करने की अभिरूचि व्यक्त करना चाहते हैं। जैसा निर्देश दिया गया है, हम अलग मुहरबंद लिफाफों में निम्नलिखित दस्तावेजों के 2 सेट और एक सॉफ्ट कॉपी संलग्न करते हैं:

1. संगठनात्मक विवरण (फार्मेट-2)
2. संबंधित क्षेत्रों में अनुभव (फार्मेट-3)
3. वेतन नामावली में कम से कम 3 विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की सूची (फार्मेट-4)
4. संगठन की वित्तीय क्षमता (फार्मेट-5)
5. अतिरिक्त सूचना (फार्मेट-6)
6. घोषणा (फार्मेट-7)

भवदीय,
आवेदक के हस्ताक्षर
[आवेदक का पूरा नाम]
मुहर.....
तारीख:

संलग्नक.: यथोपरि।

नोट: यह संगठन के लेटर हैड पर प्रस्तुत किया जाए।

फार्मेट – 2

क्र. सं.	संगठनात्मक संपर्क विवरण	
1	संगठन का नाम	
2	काम के प्रमुख क्षेत्र	
3	भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956/ भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत संगठन फर्म/कंपनी/साझेदारी फर्म का प्रकार	
4	क्या फर्म को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/सरकारी संगठन/स्वायत्त संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है? यदि हां, तो इसका विवरण बताएं।	
5	दूरभाष सं. और फैक्स सहित पंजीकृत कार्यालय का पता	
6	इनमें कार्यालयों के पते i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ii. अन्य सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
7	दूरभाष नं. और ई-मेल आईडी सहित संपर्क व्यक्ति	

संलग्नक:-

1. समावेशन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
2. उपर्युक्त 3 के संबंध में संस्था के अंतर्नियम की प्रति।
3. उपर्युक्त 4 के संबंध में वचन-पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का पूरा नाम
मुहर और तारीख

फार्मेट – 3

संबंधित क्षेत्रों में अनुभव					
ब्रांड बिल्डिंग संबंधी सभी पहलुओं में संगठन के विगत अनुभव का संक्षिप्त विवरण					
क्र. सं.	**मदें**	विगत 5 वर्षों के दौरान कार्यों की संख्या	**प्रत्येक कार्य का आदेश मूल्य लाख रू. में (प्रत्येक आदेश की प्रति संलग्न करें)**	ग्राहक/संगठन का नाम बताएं (समापन प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
1	सदृश प्रकृति के कार्यों के निष्पादन में अनुभव				
1.1	सरकारी क्षेत्र में सदृश कार्यों के निष्पादन में अनुभव				
1.2	सार्वजनिक क्षेत्र में सदृश कार्यों के निष्पादन में अनुभव				
	"सदृश प्रकृति" और "सदृश काम" का निर्णय करने में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा। आवेदक के हस्ताक्षर आवेदक का पूरा नाम मुहर और तारीख				

फार्मेट – 4

वेतन नामावली पर विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की सूची (कम से कम 3)				
क्र. सं.	नाम	पदनाम	अर्हता	प्रासंगिक अनुभव
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का पूरा नाम

मुहर और तारीख

फार्मेट – 5

संगठन की वित्तीय क्षमता					
क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	क्या लाभकारी है हां/नहीं	वार्षिक निवल लाभ (करोड़ रूपए में)	कुल वार्षिक कारोबार (करोड़ रूपए में)	केवल भारत में प्रदान की गई परामर्शी सेवाओं से वार्षिक कारोबार (करोड़ रूपए में)
1	2013-14				
2	2014-15				
3	2015-16				
नोट: कृपया अपने दावे के समर्थन में लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न करें।					

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम

मुहर और तारीख

फार्मेट – 6

अतिरिक्त सूचना

1. पूर्व भागों से संबंधित सभी संलग्नकों की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठों की संख्या

2. भाग 7 के अनुसार पात्रता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना (2 पृष्ठों से अनधिक)

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का पूरा नाम

मुहर और तारीख

फार्मेट -7

घोषणा
हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आरएमएसए योजना की समीक्षा/इसके मूल्यांकन संबंधी काम करने के लिए परामर्श सेवाओं हेतु प्रतिस्पर्धा में रूचि रखते हैं। यहां प्रदान की गई सभी सूचना वास्तविक और सही है। अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम और पदनाम: हस्ताक्षर की तारीख: नोट: यह घोषणा संगठन के लेटर हैड पर प्रदान की जाए।

संलग्नक-I

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की समीक्षा/मूल्यांकन

विचारार्थ विषय

1. पृष्ठभूमि:

केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) मार्च, 2009 में शुरू की गई थी। आरएमएसए का उद्देश्य समता सुनिश्चित करते हुए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना में हर बस्ती के एक समुचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कर कक्षा IX-X के नामांकनों में बढ़ोत्तरी करने, सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाने के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और महिला-पुरूष, सामाजिक-आर्थिक, दिव्यांगता की बाधाओं को दूर करके 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच और 2020 तक सार्वभौमिक रिटेंशन की परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2013-14 में, अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात स्कूलों में आईसीटी, बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) और व्यावसायिक शिक्षा (वीई) को आरएमएसए के तहत समाहित किया गया था। इसके अलावा, क्योंकि इन योजनाओं के तहत अंत:क्षेपों का सहायता प्राप्त स्कूलों तक विस्तार किया गया था और इसमें उच्चतर माध्यमिक खंड को कवर किया गया था, आरएमएसए के तहत उनके समावेशन से सहायता प्राप्त स्कूलों और कतिपय संघटकों के लिए उच्चतर शिक्षा खण्ड को मिलाकर आरएमएसए का अभिसरण आधारित कार्यान्वयन हुआ है।

2. उद्देश्य

समीक्षा/मूल्यांकन का उद्देश्य, योजना की प्रभावशीलता, वित्तीय और भौतिक प्रगति, दोनों के मामले में, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पेशेवर मत प्राप्त करना और इस प्रणाली में सुधार एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए मध्यावधिक सुधार के उपाय सुझाना है।

3. विचारार्थ विषय

इस अध्ययन के विचारार्थ विषय हैं:-

(क) योजना के आरंभ से इसके प्रमुख परिणामों का वांछित परिणामों की तुलना में विश्लेषण करना।

(ख) योजना के अंतर्गत दी गई मंजूरी में वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों का विश्लेषण करना।

(ग) सकल नामांकन अनुपात, ड्रॉप आउट दर, पुरूष-महिला अंतराल, अधिगम परिणाम, शिक्षा की गुणवत्ता, समता के पहलुओं आदि के विश्लेषण के साथ योजना के वांछित परिणामों की तुलना में प्रमुख परिणामो का विश्लेषण करना।

(घ) शिक्षकों की भर्ती, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संशोधन, वास्तविक अवसंरचना, अन्य कार्यकलापों जैसे विज्ञान किट, गणित किट का उपयोग, योग संवर्धन, अधिगम की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजना, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, कला उत्सव, शाला सीधी, प्रेरणादायक/प्रोत्साहन शिविर जैसे अंत:क्षेपों की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता पर योजना के प्रभाव का विश्लेषण करना।

(ङ) योजना जारी रखने के बारे में अथवा अन्यथा औचित्य साबित करना/ इसकी सिफारिश करना।

(च) योजना के कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र के सुधार के लिए उपायों का सुझाव देना।

3. <u>कार्यप्रणाली</u>

(1) देश के सभी क्षेत्रों अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र, हिमालयी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों आदि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श के साथ चुने गए 10 राज्यों में एक क्षेत्र का नमूना सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। इस दौरे के दौरान टीम, राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी और आरएमएसए के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों का दौरा भी करेगी। एक विशेष फोकस जिले सहित कम से कम 3 जिला क्षेत्रों को यादृच्छित तरीके से दौरे के लिए चुना जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक चयनित जिले में टीम ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद विद्यालयों और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्कूलों, स्कूलों में आईसीटी के अंत:क्षेप वाले विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षा, आईईडीएसएस, बालिका छात्रावासों आदि सहित आरएमएसए के तहत कवर कम से कम 6 विद्यालयों का दौरा करेगी।

(2) वर्षों के दौरान प्रगति का आकलन करने के लिए शैक्षिक संकेतकों हेतु विभिन्न डाटा स्रोतों की समीक्षा ।

(3) राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों (एसआईएस) के वार्षिक लेखाओं और लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा।

(4) वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए कार्यों/वस्तुओं/सेवाओं की खरीद प्रक्रियाओं की समीक्षा।

4. <u>समय अनुसूची</u>

समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर एक मसौदा मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मसौदा रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष राज्य क्रियान्वयन एजेंसी/ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझा किए जाने चाहिएं। परामर्शदाता द्वारा एजेंसी/राज्य से फीडबैक को मूल रूप से और अंतिम रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। एजेंसियों/ राज्यों को मसौदा रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लिखित प्रतिक्रिया प्रदान करनी होगी। परामर्शदाता, मसौदा रिपोर्ट के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 4 माह के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर अंतिम समीक्षा रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी के साथ चार हार्ड कॉपिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएंगी।

5. **<u>मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट</u>**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एजेंसी/व्यक्तियों/परामर्शदाताओं के राज्यों/संघ राज्यों से पारस्परिक वार्ता के साथ ही चयनित जिला और उप-जिला स्तरीय इकाईयों में उनके दौरों को सुकर बनाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि राज्य में दौरे के दौरान टीम के साथ रहेगा। वह निम्नलिखित की प्रतियां भी प्रदान करेगा (i) आरएमएसए के कार्यान्वयन का कार्यढांचा, (ii) आरएमएसए में वित्तीय प्रबंधन और खरीद की नियम-पुस्तिका और परामर्शदाता द्वारा यथा अपेक्षित अन्य डाटा, (iii) वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टें, (iv) कार्यान्वयन एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्टें और लेखापरीक्षा रिपोर्टें, (v) शैक्षिक संकेतकों का डाटाबेस।

6. **<u>डिलीवरेबल्स</u>**

परामर्शदाता, निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

(i) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ii) योजना के तहत वांछित आउटपुट और परिणामों की उपलब्धि की स्थिति।

(iii) योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से इसमें और अधिक सुधार करने संबंधी सिफारिशें।

(iv) परियोजना निगरानी और नियंत्रण के लिए यूडीआईएसई, एनएएस, पीएमएस रिपोर्टों के जरिए उपलब्ध प्रबंधित उपलब्ध डाटा का बेहतर उपयोग करने संबंधी सिफारिशें।

(v) छात्राओं, अनु. जाति/अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक छात्रों पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने संबंधी सिफारिशें जो शिक्षकों की शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षकों को प्रदान किए गए प्रशिक्षणों में हो।

(vi) विद्यालयों में अवसंरचना सुविधाएं सुधारने संबंधी सिफारिशें।

(vii) फील्ड स्तर पर अपेक्षित/अनुमोदित कार्यों/ वस्तुओं/सेवाओं की दक्ष खरीद और इस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि को सुनिश्चित करने के लिए कार्यप्रणाली से संबंधित सिफारिशें। वर्तमान प्रथा के विरूद्ध नवाचारी दक्ष पद्धति का भी सुझाव दिया जाए।

(viii) योजना का 2016-17 से आगे विस्तार और इसका उच्चतर माध्यमिक स्तर से आगे विस्तार किए जाने की सिफारिशें।

*****